>

Title : Need to set up a separate Family Welfare Fund and to increase the amount of compensation for women under National Rural Health Mission in Rajasthan and other parts of the country.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नसबंदी शिवरों का जो आयोजन किया जाता है और इन शिविरों में जिन महिलाओं की मौत हो जाती है और उसके तहत उनके परिजनों को जो बीमा का क्लेम प्राप्त नहीं होता है, उसकी तरफ मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिकांशतः देखा गया है कि नसबंदी परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 80-90 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ही कराई जाती है। नसबंदी के एक दो दिन बाद या दस से पन्द्रह दिनों बाद आपरेशन के बाद जब महिला की मौत हो जाती है, तब यह बात समाचार पत्रों में बहुत प्रमुखता से छापी जाती है। इससे एक तरफ परिवार कल्याण कार्यक्रम को धक्का लगता है और दूसरी तरफ जब इनके परिवार वालों को बीमा की राशि नहीं मिलती है, तब उनकी माली हालत बहुत खराब हो जाती है।[I3]

मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चल रहा है, उसके तहत इसके लिए अलग से एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। अभी ऐसा नियम है कि मौत होने के बाद उस महिला को ही, उस महिला के परिवार वालों को ही आईसीआईसी लॉम्बार्ड के तहत बीमा क्लेम पेश करना पड़ता है और उधर डॉक्टर की जो पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट होती है, उसमें नसबंदी के कारण मौत अंकित नहीं होती है। उसमें लिखा होता है कि धमनियां खराब हो गईं, हीट-स्ट्रोक हो गया, गर्मी ज्यादा लग गई, इसलिए बीमा क्लेम पेंडिंग पड़े रहते हैं और साल-दो साल तक बीमा के क्लेम नहीं मिलते हैं। इधर आईसीआईसी लॉम्बार्ड में भारत सरकार से प्रीमियम एडवांस में ले रखा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पत्राचार का काम, परिवार कल्याण कार्यक्रम और बीमा आपस में तय करें और महिला को क्लेम पहले से ही दे दिया जाए जिससे परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जो मौतें हो रही हैं, उन महिला के परिवार वालों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके।